

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-81/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मो० अब्दुल्लाह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनुपुरा, सरैया, मुजफ्फरपुर के दिनांक-26.02.2026 से 12.03.2026 तक कुल-15 दिन द्वितीय संतान के देखभाल हेतु उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय ज्ञापांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

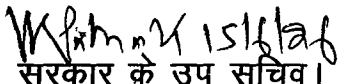
ज्ञापांक-2/एल०-81/2026-

1327(2) पटना, दिनांक 15/6/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरैया, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/डा० मो० अब्दुल्लाह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनुपुरा, सरैया, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।
१